**प्रकरण संख्या 22/2024 ब्रदीलाल बनाम कमलेश व अन्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.02.2025 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरदारगढ़, तहसील आमेट में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 2008 रकबा 0.3933 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा शालताली उपयोग–उपभोग में चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बिना विभाजन कराये भूमि पर निर्माण करने पर आमादा हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार रहीं है। अतः विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 4 तनकियां कायम की तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 29.03.2023 को वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04.04.2024 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी ने दिनांक 06.05.2024 को यह अपील प्रस्तुत की।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल ने उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाडा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।<br><br>अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने विभाजन का वाद पेश किया, किन्तु उसी की भूमि का विभाजन नहीं किया गया है। विभाजन केवल 0.0084 हैक्टर का किया गया है तथा 0.1966 हैक्टर भूमि उदयसिंह व कजोड़मल के शामलाती रख दी है। सड़क के पास की जमीन प्रतिविादी संख्या 1 से [illegible] दी गयी है तथा वादी | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:27 IST
Reason: SelfAttested

को सड़क से दूर भूमि दी गयी है, जबकि उक्त भूमि के दो हिस्से वादी के थे और एक हिस्सा प्रतिवादी का था, परन्तु सम्पूर्ण आगे की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को दी दी गयी है, जो विधि के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री जारी जाने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि बंटवारा सहमति के आधार पर किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अंतिम डिक्री अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में सहमति के आधार पर जारी की गयी है तथा विभाजन में उसे 2008/1 का 0.0084 हैक्टर स्वतंत्र रूप से तथा 2008/5 में रकबा 0.2561 में 1966/2561 रकबा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उसे सिर्फ 0.0084 हैक्टर ही भूमि दी गयी है, उचित प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 54/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2024 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(कीर्ति राठौड़)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:27 IST
Reason: SelfAttested